10. भूखण्डों का आरक्षण

राजस्थान नगरीय निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है आवेदक जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य श्रेणी में उनका कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा आवेदक की पात्रता एक साथ दो आरक्षण वर्गो में होने पर भी आवेदक द्वारा जिस वर्ग में आरक्षण चाहा गया है उसी वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे। एक साथ दो वर्गो में आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। राजस्थान के मूल निवासी व्यक्तियों के लिये आवासीय भूखण्डों का आरक्षण श्रेणीवार राजस्थान सुधार न्यास (भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 10 एवं 17 (2) में वर्णित प्रावधानों अनुसार निम्न प्रकार से रहेगा।

स्पष्टीकरण

क्र.सं.	श्रेणी	आय श्रेणी	योजना में आरक्षण प्रतिशत
1.	सरकारी कर्मचारी आदि- (क) राजस्थान सरकार के कर्मचारी, स्थानीय निकाय और राज्य साविधिक संस्थाओं के कर्मचारी (ख) मृतक सरकारी कर्मचारी के विधवा जिनके पति की मृत्यु को 10 वर्ष से अधिक समय नही हुआ हों। (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ना हो। मृत्यु के समय जिनके पति की वार्षिक आय रूपये 6 लाख से अधिक न हो	10 प्रतिशत
2.	रक्षा कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार तथा सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रिय रिर्जव पुलिस बल के कर्मचारी जिनके आवंटन का क्रम निम्नानुसार होगा- (क) मृतक सैन्य कर्मचारी की विधवा और आश्रित जो सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए और सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के शहीद कर्मचारी की विधवा और आश्रित जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान शहीद हुए है।	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	10 प्रतिशत

क्र.सं.	श्रेणी	आय श्रेणी	योजना में आरक्षण प्रतिशत
	(ख) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रिय रिर्जव पुलिस बल के दिव्यांग कर्मचारी (ग) अन्य भारतीय सैना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के कर्मचारी	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**10 प्रतिशत**
3.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**15 प्रतिशत**
4.	मान्यता प्राप्त पत्रकार	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**02 प्रतिशत**
5.	विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49, 2016) के, तहत घोषित विशेष योग्य जन व्यक्ति जिसमें विशेष योग्य जन महिला को वरीयता दी जावेगीं।	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**कुल भूखण्ड का 05 प्रतिशत यह आरक्षण क्षैतिज होगा और इसके तहत आवंटित भूखण्ड की गणना अन्य श्रेणी में आवंटित आरक्षित और अनारक्षित भूखण्डों के विरूद्ध की जावेगी।**
6.	निराश्रित और भूमिहीन एकल महिला	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 0.80 लाख से अधिक ना हो	**कुल भूखण्ड का 10 प्रतिशत यह आरक्षण क्षैतिज होगा और इसके तहत आवंटित भूखण्ड की गणना अन्य श्रेणी में आवंटित आरक्षित और अनारक्षित भूखण्डो के विरूद्ध की जावेगी।**

क्र.सं.	श्रेणी	आय श्रेणी	योजना में आरक्षण प्रतिशत
7.	ट्रांसजेण्डर व्यक्ति	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	02 प्रतिशत
नोट: यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आवंटन योग्य भूखण्ड हेतु आवेदन प्राप्त नही होता है तो उक्त भूखण्ड का आवंटन बेचान भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी द्वारा निर्णित कर निलामी द्वारा किसी भी व्यक्ति को किया जा सकेगा			

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर पूर्ण भूखण्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नही होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदको को किया जायेगा।
2. राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. राजस्थान की अनु.जाति/अनु.जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/ भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
6. सैनिक वर्ग में भारत की थल,जल,वायुसेना, बी.एस.एफ, सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति,पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।
7. सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नही होगा।
8. सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक का परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।